

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी -डॉ०सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 43/2021

तारीख रजू 01.07.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामचरण पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील मलारना डूंगर
2. आशा देवी पत्नि रामचरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील मलारना डूंगर

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 22/11/21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 07.06.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण रामचरण पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील मलारना डूंगर, आशा देवी पत्नि रामचरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर साबिक 1/1/1 रकबा 19 बिस्वा हाल ख0न0 25/1003 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम ऐबरा में आदेश दिनांक 07/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 25/1003 रकबा 0.24 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त व पटवारी हल्का मकसूदनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त ख0न0 पर आवंटी का कब्जा नहीं होने व मौके पर भूमि खाली पडी हुई होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण बाद तामिल कई मौके दिये जाने पर भी अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 25/1003 रकबा 0.24 है0 पर भू.अ.निरीक्षक वृत्त बहरावण्डाकलां व पटवारी हल्का मकसूदनपुरा की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काशत नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि ख0न0 गोरदावरी सम्वत 2073-76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 07.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस क्रमांक 1405-06 दिनांक 02/07/2021 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण रामचरण पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील मलारना डूंगर, आशा देवी पत्नि रामचरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील मलारना डूंगर नियत पेशी दिनांक 13/09/2022 तक पर्याप्त मौके दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न हीं अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 13/09/2022 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में परोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण रामचरण पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील मलारना डूंगर, आशा देवी पत्नि रामचरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम ऐबरा तहसील मलारना डूंगर को आराजी ख0 नम्बर 25/1003 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम ऐबरा आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत्त बहरावण्डाकलां व पटवारी हल्का मकसूदनपुरा की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत नहीं है व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2073-76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 25/1003 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम ऐबरां पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 07.06.2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ऐबरा के आराजी खसरा नम्बर 25/1003 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम ऐबरा को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 22/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

hs
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर